

# VB-G RAM G to Come Into Force From July 1, Replacing MGNREGA



The Government of India has published its official notification, stating that the VB-G RAM G Act will replace the MGNREGA from August 1, 2026. The new scheme provides a minimum of 125 days of wage employment to the rural households as against 100 days under MGNREGA, the Ministry of Rural Development said. In FY 2022-23, the Centre allocated ₹95,692 crore for implementation, which is among the highest allocations to rural employment in India's history. The job cards already in use will continue to be valid till it becomes operational under the new Act of 2024 and smooth transition will be ensured to continue the ongoing works under MGNREGA.

## Key Highlights of VB-G RAM G Act

- The new urban employment model will come into effect from 1st July 2026 in all States and Union Territories of India.
- The Act discontinues the existing MGNREGA from 2005, that has been in effect.
- The rural households will now have a statutory right to 125 days of wage employment annually.
- Main thrust of the scheme is creation of employment, rural infrastructure and enhancement of livelihood.
- Wages will be paid to bank/post office accounts via Direct Benefit Transfer (DBT) payments.

## Current Affairs Capsule for 12 May 2026 (CLASS24)

- If wages are missed after the required waiting period, workers will be paid for the wages missed.
- All the e-KYC job cards for MGNREGA will continue to be valid till the issuance of fresh Gramin Rozgar Guarantee Cards.
- All on-going activities in the MGNREGA will be continued and transferred to the new framework.
- The government has announced the biggest budget for the programme for FY 2026-27 of ₹95,692 crore.
- The Act shall be aimed at empowering the Gram Panchayats and building self-reliance in the rural areas in the vision of Viksit Bharat 2047.

### Conclusion - VB-G RAM G

The VB-G RAM G Act, which comes into effect from July 1, is a major change in the employment policy in India's rural areas. The government is looking to boost the economic security of millions of households by boosting the number of guaranteed workdays and expanding rural development activities. Existing projects are likely to be continued and MGNREGA are expected to be implemented seamlessly to ensure minimal disruptions to beneficiaries. The new framework is designed with a new unimpeachment budget allocation and with a strong DPB transparency (payments initiated by DBT), in order to bring efficiency and accountability. The Act also supports the overall objective of empowerment of the villages in India, its infrastructure development and sustainable living.

# Centre Notifies 1% Construction Welfare Cess Under Social Security Code



The Centre has officially informed the Construction Welfare Cess at 1 per cent as per provisions provided by the Social Security Code and Building and Other Construction Workers welfare scheme. The levy targets to boost financial assistance to the welfare schemes related to construction workers in all parts of the country in India. The government stipulations specify that the cess will be levied on the total amount of expenses incurred by the employers and the project developers on construction. The amounts raised by the cess will be dedicated to healthcare, insurance, pensions, assistance for those in the education system and other welfare needs for those employed in the unorganised construction sector. This is being done as part of labour reforms being rolled out in India through the new labour codes.

## Key Highlights of the 1% Construction Welfare Cess

- The Centre has imposed a 1% welfare cess on construction of buildings and other construction activities all over the country.
- The employers have to pay a cess on entire cost of construction.
- The welfare cess framework is associated with the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act and the reforms of the Social Security Code.
- Money raised from the cess will be used to help construction workers' welfare schemes.
- This can be as high as health insurance, pension coverage, bounty insurances and education reimbursement for employees' families.

## Current Affairs Capsule for 12 May 2026 (CLASS24)

- A list of self-assessment provisions in relation to the cess liability has been introduced by the government to cut down procedure delays.
- The cess is applicable to the majority of construction projects such as roads, bridges, buildings, dams, railways and infrastructure projects.
- Cess shall be deducted in respect of payments for construction activities by government departments and Governmental Public Sector Undertakings if applicable.
- Under certain circumstances, contractors and sub-contractors can also be liable to pay Cess.
- The moneys collected are disclaimed to state welfare boards for spending for the labour welfare programmes.
- The labour reforms are designed to help make employers easier to operate and more protect workers and social security coverage.
- The Centre has constantly stressed issues of transparency and effective use of welfare resources for registered workers.
- The authorities are confident that the cess will enhance the financial stability as well as social protection of millions of construction workers across the country.
- This levy is an important source of financing for welfare boards from different States.
- The notification is a fact of the four labour codes being implemented to overhaul India's labour laws.

### Conclusion

The announcement of the Construction Welfare Cess (CWC) at 1% reminds the government's ongoing efforts to enhance social security for India's building and construction industry. To give better financial security and welfare benefits to workers of infrastructure and construction projects, the Centre has planned to have the welfare fund specifically for them. The implementation properly, fund utilization transparency, timely delivery of benefits will be of vital importance to make the initiative successful. Given the focus of India on infrastructure development and urbanization, the welfare cess is likely to have had a significant impact on the welfare of labour, the strengthening of worker rights, and the expansion of social security coverage in the country.

# HINDI

# वीबी-जी रैम जी विधेयक 1 जुलाई से लागू होगा और एमजीएनआरईजीए की जगह लेगा।



भारत सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि 1 अगस्त, 2026 से ग्राम एवं पशु एवं पशु एवं पशु कल्याण अधिनियम (VB-G RAM G Act) एमजीएनआरईजीए का स्थान लेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को एमजीएनआरईजीए के 100 दिनों के मुकाबले कम से कम 125 दिनों का मजदूरी रोजगार मिलेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार ने इसके कार्यान्वयन के लिए ₹95,692 करोड़ आवंटित किए हैं, जो भारत के इतिहास में ग्रामीण रोजगार के लिए किए गए सबसे अधिक आवंटनों में से एक है। मौजूदा रोजगार कार्ड 2024 के नए अधिनियम के लागू होने तक वैध बने रहेंगे और एमजीएनआरईजीए के तहत चल रहे कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा।

## VB-G RAM G अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी रोजगार का नया मॉडल 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा।
- यह अधिनियम 2005 से लागू एमजीएनआरईजीए को समाप्त करता है।
- ग्रामीण परिवारों को अब प्रतिवर्ष 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन, ग्रामीण अवसंरचना का विकास और आजीविका में सुधार करना है।
- वेतन का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से बैंक/डाकघर खातों में किया जाएगा।
- यदि निर्धारित प्रतीक्षा अवधि के बाद भी वेतन नहीं मिलता है, तो श्रमिकों को छूटे हुए वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- एमजीएनआरईजीए के सभी ई-केवाईसी जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध बने रहेंगे।

- एमजीएनआरईजीए के तहत चल रही सभी गतिविधियां जारी रहेंगी और उन्हें नए ढांचे में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस कार्यक्रम का अब तक का सबसे बड़ा बजट 95,692 करोड़ रुपये घोषित किया है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का निर्माण करना है।

## निष्कर्ष - VB-G RAM G

वीबी-जी आरएएम जी अधिनियम, जो 1 जुलाई से लागू हो रहा है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नीति में एक बड़ा बदलाव है। सरकार गारंटीकृत कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर और ग्रामीण विकास गतिविधियों का विस्तार करके लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। मौजूदा परियोजनाओं को जारी रखने की संभावना है और एमजीएनआरईजीए को सुचारू रूप से लागू करने की उम्मीद है ताकि लाभार्थियों को कम से कम असुविधा हो। नया ढांचा एक नए दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। महाभियोग से मुक्ति कार्यकुशलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बजट आवंटन और डीबीपीएस (डीबीटी द्वारा शुरू किए गए भुगतान) में मजबूत पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। यह अधिनियम भारत में गांवों के सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और सतत जीवन स्तर के समग्र उद्देश्य का भी समर्थन करता है।

## केंद्र ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत 1% निर्माण कल्याण उपकर अधिसूचित किया



केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के प्रावधानों के अनुसार 1 प्रतिशत निर्माण कल्याण उपकर लागू करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस उपकर का उद्देश्य भारत के सभी हिस्सों में निर्माण श्रमिकों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा

देना है। सरकारी नियमों के अनुसार, यह उपकर नियोक्ताओं और परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा निर्माण पर किए गए कुल व्यय पर लगाया जाएगा। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग असंगठित निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य देखभाल, बीमा, पेंशन, शिक्षा प्रणाली में सहायता और अन्य कल्याणकारी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। यह कदम भारत में नए श्रम संहिताओं के माध्यम से लागू किए जा रहे श्रम सुधारों के अंतर्गत उठाया जा रहा है।

## 1% निर्माण कल्याण उपकर की प्रमुख विशेषताएं

- केंद्र सरकार ने देशभर में भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण गतिविधियों पर 1% कल्याण उपकर लगाया है।
- नियोक्ताओं को निर्माण की पूरी लागत पर उपकर का भुगतान करना होगा।
- कल्याण उपकर ढांचा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा संहिता के सुधारों से जुड़ा हुआ है।
- इस उपकर से जुटाई गई धनराशि का उपयोग निर्माण श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं में किया जाएगा।
- इसमें कर्मचारियों के परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा, पेंशन कवरेज, बोनस बीमा और शिक्षा प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
- प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा उपकर देयता से संबंधित स्व-मूल्यांकन प्रावधानों की एक सूची शुरू की गई है।
- यह उपकर सड़कों, पुलों, भवनों, बांधों, रेलवे और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसी अधिकांश निर्माण परियोजनाओं पर लागू होता है।
- यदि लागू हो तो सरकारी विभागों और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्माण गतिविधियों के लिए किए गए भुगतानों पर उपकर की कटौती की जाएगी।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठेकेदार और उप-ठेकेदार भी उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।
- एकत्रित धनराशि को श्रम कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए राज्य कल्याण बोर्डों को सौंप दिया जाता है।
- श्रम सुधारों का उद्देश्य नियोक्ताओं के लिए संचालन को आसान बनाना और श्रमिकों तथा सामाजिक सुरक्षा कवरेज की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- केंद्र सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए पारदर्शिता और कल्याणकारी संसाधनों के प्रभावी उपयोग के मुद्दों पर लगातार जोर दिया है।
- अधिकारियों को विश्वास है कि यह उपकर देश भर में लाखों निर्माण श्रमिकों की वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ाएगा।
- यह शुल्क विभिन्न राज्यों के कल्याण बोर्डों के वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- यह अधिसूचना भारत के श्रम कानूनों में सुधार लाने के लिए लागू की जा रही चार श्रम संहिताओं का एक तथ्य है।

## निष्कर्ष

1% निर्माण कल्याण उपकर (सीडब्ल्यूसी) की घोषणा भारत के भवन एवं निर्माण उद्योग के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के निरंतर प्रयासों की याद दिलाती है। अवसंरचना एवं निर्माण परियोजनाओं के श्रमिकों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने उनके लिए विशेष कल्याण कोष की योजना बनाई है। इस पहल की सफलता के लिए इसका सुचारु कार्यान्वयन, निधि के उपयोग में पारदर्शिता और समय पर लाभों का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। भारत में अवसंरचना विकास और शहरीकरण

## Current Affairs Capsule for 12 May 2026 (CLASS24)

पर ध्यान केंद्रित होने के कारण, कल्याण उपकर का श्रमिकों के कल्याण, श्रमिक अधिकारों के सुदृढीकरण और देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

